संख्याः 3569/5/71892/FCD-IRFC/FSFC/5/2025

प्रेषक,

हिमांशु खुराना,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
31/62, राजपुर रोड,
देहरादून।

वित्त अनुभाग–1 :: देहरादून :: दिनांकः 31 दिसम्बर, 2025

विषयः– पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में समस्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2025–26 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त (जनवरी से मार्च, 2026) की धनराशि संक्रमित करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संदर्भ में पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि समस्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2025–26 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त (जनवरी से मार्च, 2026) हेतु निम्न तालिका के कॉलम–3 में अंकित कुल देय संक्रमण रू0 314,60.73 लाख (रू0 तीन सौ चौदह करोड़ साठ लाख तिहत्तर हजार मात्र) में से तालिका के कॉलम–4 में अंकित कुल रू0 3,10.29 लाख (रू0 तीन करोड़ दस लाख उनतीस हजार मात्र) की धनराशि पालिका केन्द्रीयित पेंशन निधि हेतु (01 प्रतिशत) कटौती करते हुये कॉलम–5 में अंकित कुल रू0 311,50.44 लाख (रू0 तीन सौ ग्यारह करोड़ पचास लाख चवालीस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार (निकायवार विवरण, संलग्नक–1) संबंधित निकायों को संक्रमित करने, इस प्रकार कुल रू. 314,60.73 लाख (रू0 तीन सौ चौदह करोड़ साठ लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र.सं	निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2025–26 (हजार में)		
		चतुर्थ त्रैमासिक किश्त हेतु देय संक्रमण	*केन्द्रीयित पेंशन निधि हेतु कटौती 1%*	*निकायों को वित्तीय वर्ष 2025–26 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त हेतु संक्रमित धनराशि*
1	2	3	4	5
1-	नगर निगमें	1416527	14165	1402362
2-	नगर पालिका परिषदें	1359121	13566	1345555
3-	नगर पंचायतें	370425	3298	367127
	महायोग	3146073	31029	3115044

टिप्पणीः– (1) आंकड़ें पूर्णांक (Round) में प्रदर्शित किये गये हैं।

(2) ऐसी निकाय जिनकों संक्रमण सूत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, को देय एक मुश्त सहायता अनुदान से केन्द्रीयित पेंशन निधि की कटौती नहीं की गई है।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अन्तर्गत अवमुक्त की जानी है:–

1. पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन, अध्याय–8 (संक्रमण की योजना) में की गई संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत उक्त धनराशि संक्रमित की जा रही है।
2. पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों हेतु की गई संस्तुतियों के क्रियान्वयन के संबंध में वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 266/(वि. आ. निदे.) xxvii(1)/ 2022, दिनांकः 02.05.2022 द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
3. संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम निकायों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत समस्त प्रकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, पथ प्रकाश, जल संस्थान के देयकों एवं सेवा निवृत्त कर्मचारियों के दावों का भुगतान सुनिश्चित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि, विकास कार्यो एवं केवल सफाई व स्वच्छता संबंधी वाहनों यथाः– कूडा वाहन, डम्पर, टिप्पर, जे.सी.बी. व

कम्पेक्टर वाहन क्रय करने पर व्यय की जा सकती है परन्तु स्वच्छता से इतर अन्य वाहन जैसेः–जीप और स्टॉफ कार कदापि क्रय नहीं किये जायेगें।

4. वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) के शासनादेश संख्याः 36/FCD-IRFC/FFCG/4/ 2022, दिनांकः 03.04. 2023 के अनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि से 01 प्रतिशत की कटौती उत्तराखण्ड पालिका केन्द्रीयित पेंशन निधि हेतु की गई है।

5. एक नगर पंचायत को, नगर पालिका परिषद या नगर पालिका परिषद को नगर निगम में उच्चीकृत किया जाता है, तो इससे संबंधित समूहों के परस्पर हिस्से के बीच एक विकृति पैदा होती है। आयोग की संस्तुति के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के निर्धारित आपसी अंश को बदला नहीं जा सकता है। उक्त के दृष्टिगत एक उच्चीकृत निकाय को संक्रमण की उतनी ही राशि प्राप्त होगी, जितना की आयोग की अवार्ड अवधि के दौरान उसके उन्नयन से पूर्व प्राप्त हो रहा था।

6. आयोग के अधिनिर्णय की अवधि के दौरान नवसृजित नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को प्रथम वर्ष रू0 1.25 करोड़ तथा शेष अवधि में रू0 1.00 करोड़ का अनुदान दिया जायेगा। प्रथम वर्ष में सहायता अनुदान की कुल राशि में से रू0 50 लाख रुपये की राशि उन मदों पर खर्च की जाएगी जो पूंजीगत कार्यों और राजस्व व्यय की प्रारंभिक मदों की प्रकृति की हैं। लेकिन नई स्टाफ कार/जीप, इस अनुदान से नहीं खरीदी जा सकती है।

7. यदि किसी ग्राम पंचायत का कोई भाग नगर निगम/ नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत में सम्मिलित कर लिया गया हो या किसी ग्राम पंचायत से नई ग्राम पंचायत का गठन हो गया हो अथवा किसी शहरी स्थानीय निकाय में पूर्व में सम्मिलित ग्राम पंचायत को पुनः ग्राम पंचायत बना दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में उस ग्राम पंचायत अथवा नगर निकाय को संक्रमित धनराशि का हस्तान्तरण वित्त विभाग के शासनादेश सं0–822/XXVII(1)/ 2014, दिनांकः 15 अक्टूबर, 2014 एवं शासनादेश सं0–1344/xxvii(1)/ 2021, दिनांकः 17 दिसम्बर, 2018 में दी गई व्यवस्थानुसार किया जायेगा, जिसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड से राज्य के निज कर राजस्व प्राप्तियों के अनन्तिम आंकड़ें प्राप्त होने के उपरान्त निकायों को संक्रमित धनराशि की पुनर्गणना की गई है। निज कर राजस्व प्राप्ति में कमी होने के कारण उक्तानुसार ही धनराशि संक्रमित की जा रही है।

9. वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–132/XXVII(6)/ 430/ एक/ 2008/2019, दिनांकः 29 मार्च, 2019 में तथा समय–समय पर यथा संशोधित शासनादेशों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा कोषागार के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार धनराशि संबंधित निकायों को संक्रमित की जायेगी। किसी भी दशा में निदेशालय स्तर पर धनराशि रोकी नहीं जायेगी।

10. नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को त्रैमासिक किश्त के रूप में धनराशि संक्रमित की जा रही है।

11. नव गठित नगर पंचायतों को संक्रमण हेतु अनुशंसित सूत्र में शामिल नहीं किया गया है। अपितु उनसे संबंधित समूहों को स्वीकार्य कुल हस्तांतरण से सहायता अनुदान की धनराशि घटाकर संबंधित नव सृजित निकायों को अंतरित की जा रही है।

12. समस्त शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधित निदेशालय स्तर पर निदेशक को उपलब्ध कराये जायेंगे। निदेशक द्वारा निकायवार उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का संकलन कर शासन स्तर पर प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभागीय प्रमुख सचिव/ सचिव से हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग को दिनांकः 31 मार्च, 2026 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। समय से उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में अगली किश्त की धनराशि रोकी जा सकती है, जिसके लिए संबंधित निकाय उत्तरदायी होंगें।

13. संक्रमित धनराशि के सदुपयोग के लिए शासन स्तर पर संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव तथा निदेशालय स्तर पर संबंधित विभाग के निदेशक द्वारा त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी।

14. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150) 2019/ 2025, दिनांकः 31 मार्च, 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में निर्गत दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. अंतरित की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योमेंट) नियमावली–2025 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

16. निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तो में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक/ विभागीय अधिकारी इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी। वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई विचलन मान्य नहीं होगा।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्यय की अनुदान संख्याः 07 के अन्तर्गत संलग्न बी.एम.–9 (पुनर्विनियोग) एवं निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगाः–

क.सं.	निकाय का नाम	लेखाशीर्षक	संकमित धनराशि (रू0 हजार में)
1-	नगर निगमें	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा सननुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02–राज्य वित्त आयोग–01–राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर निगमों को संस्तुत करों से सननुदेशन–69–सननुदेशन।	1416527
2-	नगर पालिका परिषदें	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा सननुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02–राज्य वित्त आयोग–02–राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर पालिकाओं हेतु संस्तुत करों से सननुदेशन–69–सननुदेशन।	1359121
3-	नगर पंचायतें	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा सननुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02–राज्य वित्त आयोग–03–नगर पंचायतों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से सननुदेशन–69–सननुदेशन।	370425
योग			3146073

संलग्नकः–यथोपरि।

Digitally signed by Himanshu Khurana
Date: 30-12-2025 10:30:10

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव।

संख्याः 356945/71892/FCD-IRFC/FSFC/5/2025, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/ कुमायूं मण्डल।
4. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मीरोड, डालनवाला, देहरादून।
6. निदेशक, लेखा परीक्षा, रिंग रोड, देहरादून।
7. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मीरोड, डालनवाला, देहरादून।
10. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/ मा0 वित्त मंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी/ मा0 वित्त मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
11. संबंधित नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी–नगर निगम/ नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
12. शहरी विकास अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
13. एन0आई0सी0सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H25120070394

आवंटन पत्र दिनांक-31-DEC-2025

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	02-राज्य वित्त आयोग
	01-राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर निगमों को संस्तुत करों से समनुदेशन	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	1

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
69-समनुदेशन	4513821000	1416527000	4513821000	5930348000
योग	4513821000	1416527000	4513821000	5930348000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.1,41,65,27,000 (Rupees One Hundred Forty One Crores Sixty Five Lacs Twenty Seven Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2512:0009

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग–01
उत्तराखण्ड शासन

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H25120070395
आवंटन पत्र दिनांक-31-DEC-2025

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध सुआवजा और असाइनमेंट	02-राज्य वित्त आयोग
	02-राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर पालिकाओं हेतु संस्तुत करों से समनुदेशन	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
69-समनुदेशन	4318743000	1359121000	4318743000	5677864000
योग	4318743000	1359121000	4318743000	5677864000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.1,35,91,21,000 (Rupees One Hundred Thirty Five Crores Ninety One Lacs Twenty One Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2512:0010

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग–01
उत्तराखण्ड शासन

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H25120070396
आवंटन पत्र दिनांक-31-DEC-2025

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	02-राज्य वित्त आयोग
	03-नगर पंचायतों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	3

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
69-समनुदेशन	1164957000	370425000	1164957000	1535382000
योग	1164957000	370425000	1164957000	1535382000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.37,04,25,000 (Rupees Thirty Seven Crores Four Lacs Twenty Five Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2512:0011

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग–01
उत्तराखण्ड शासन

संलग्नक–1

पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में समस्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2025–26 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त हेतु संकमित धनराशि का विवरण

(रू0 हजार में)

जनपद का नाम	क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2025–26 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त हेतु देय संकमण	वित्तीय वर्ष 2025–26 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त से पेंशन हतु 1 प्रतिशत कटौती	वित्तीय वर्ष 2025–26 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त हेतु निकायों को संकमित धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) नगर निगम					
देहरादून	1	देहरादून	476904	4769	472135
	2	ऋषिकेश	64847	648	64199
हरिद्वार	3	हरिद्वार	140525	1406	139119
	4	रुड़की	114971	1150	113821
नैनीताल	5	हल्द्वानी	147441	1474	145967
पौड़ी गढ़वाल	6	कोटद्वार	92528	925	91603
	7	श्रीनगर (उच्चीकृत)	42583	426	42157
उधमसिंह नगर	8	काशीपुर	103710	1037	102673
	9	रुद्रपुर	115509	1155	114354
अल्मोड़ा	10	अल्मोड़ा (उच्चीकृत)	49329	493	48836
पिथौरागढ़	11	पिथौरागढ़ (उच्चीकृत)	68180	682	67498
योग (1) नगर निगम		योग	1416527	14165	1402362
(2) नगर पालिका परिषदें					
अल्मोड़ा	1	रानीखेत –चिनियानौला	17031	170	16861
बागेश्वर	2	बागेश्वर	35150	353	34797
चमोली	3	गोपेश्वर	33824	339	33485
	4	जोशीमठ	38439	384	38055
	5	गौचर	22706	227	22479
	6	कर्णप्रयाग	21150	212	20938
चम्पावत	7	चम्पावत	22424	224	22200
	8	टनकपुर	25253	253	25000
	9	लोहाघाट (उच्चीकृत)	11534	115	11419
देहरादून	10	मसूरी	81971	820	81151
	11	विकासनगर	31986	320	31666
	12	डोईवाला	61786	618	61168
	13	हरबर्टपुर	17532	175	17357
हरिद्वार	14	मंगलौर	53143	531	52612
	15	लक्सर	29033	290	28743
	16	शिवालिक नगर	37310	373	36937
नैनीताल	17	नैनीताल	59588	596	58992
	18	रामनगर	60231	602	59629
	19	भवाली	19579	196	19383
	20	कालाढूँगी (उच्चीकृत)	11885	119	11766
पौड़ी गढ़वाल	21	दुगड्डा	17635	176	17459
	22	पौड़ी	44610	446	44164
पिथौरागढ़	23	धारचूला	22300	223	22077
	24	डीडीहाट	22300	223	22077
	25	गंगोलीहाट (उच्चीकृत)	7817	78	7739
	26	बेरीनाग (उच्चीकृत)	8300	83	8217

रुद्रप्रयाग	27	रुद्रप्रयाग	24105	241	23864
टिहरी	28	नरेंद्रनगर	15174	152	15022
	29	टिहरी	38925	389	38536
	30	मुनि की रेती ढालवाला	37039	370	36669
	31	चम्बा	15493	155	15338
	32	देवप्रयाग	22533	225	22308
ऊधम सिंह नगर	33	बाजपुर	34288	343	33945
	34	गदरपुर	26849	268	26581
	35	जसपुर	56037	560	55477
	36	खटीमा	58839	588	58251
	37	किच्छा	76632	766	75866
	38	सितारगंज	36248	362	35886
	39	महुआखेड़ागंज	17376	174	17202
उत्तरकाशी	40	उत्तरकाशी	40265	403	39862
	41	बड़कोट	21151	212	20939
	42	चिन्यालीसौड़	21150	212	20938
योग (2)			1356621	13566	1343055
(3) नगर पालिका परिषद (नव सृजित)					
ऊधम सिंह नगर	43	नगला	2500	0	2500
योग (3)			2500	0	2500
योग– नगर पालिका परिषदें (2+3)			1359121	13566	1345555
(4) नगर पंचायतें					
अल्मोड़ा	1	द्वाराहाट	6190	62	6128
	2	भिकियासैंण	5514	55	5459
	3	चौखुटिया	5514	55	5459
बागेश्वर	4	कपकोट	5151	52	5099
चमोली	5	नन्दप्रयाग	7791	78	7713
	6	पोखरी	7758	78	7680
	7	थराली	4782	48	4734
	8	पीपलकोटी	8268	83	8185
	9	गैरसैंण	9408	94	9314
चम्पावत	10	बनबसा	5587	56	5531
हरिद्वार	11	झबरेड़ा	18226	182	18044
	12	लंढौर	22808	228	22580
	13	भगवानपुर	14364	144	14220
	14	पिरान कलियर	16152	162	15990
नैनीताल	15	लालकुआँ	11819	118	11701
	16	भीमताल	25215	252	24963
पौड़ी गढ़वाल	17	स्वर्गाश्रम	14053	141	13912
	18	सतपुली	6020	60	5960
रुद्रप्रयाग	19	अगत्स्यमुनि	8928	89	8839
	20	उखीमठ	7931	79	7852
	21	तिलवाड़ा	5514	55	5459
टिहरी	22	कीर्तिनगर	7999	80	7919
	23	घनसाली	8043	80	7963
	24	गजा	5240	52	5188
	25	लम्बगांव	5514	55	5459
	26	चमियाला	5525	55	5470

ऊधम सिंह नगर	27	महुआडावरा	7461	75	7386
	28	सुल्तानपुर	9112	91	9021
	29	केलाखेड़ा	11079	111	10968
	30	दिनेशपुर	11647	116	11531
	31	शक्तिगढ़	9206	92	9114
	32	नानकमत्ता	7675	77	7598
	33	गूलरभोज	6321	63	6258
उत्तरकाशी	34	पुरोला	12113	121	11992
	35	नौगांव	5872	59	5813
योग (4)			329800	3298	326502
(5) नगर पंचायतें (नव सृजित)					
हरिद्वार	36	सुल्तानपुर–आदमपुर	2500	0	2500
	37	पाडली गुर्जर	2500	0	2500
	38	ढण्डेरा	2500	0	2500
	39	रामपुर	2500	0	2500
	40	इमलीखेड़ा	2500	0	2500
टिहरी गढ़वाल	41	तपोवन	2500	0	2500
चमोली	42	नन्दानगर (नव सृजित)	3125	0	3125
पौड़ी गढ़वाल	43	थलीसैंण	2500	0	2500
बागेश्वर	44	गरूड़	2500	0	2500
उधमसिंह नगर	45	लालपुर	2500	0	2500
	46	गढ़ीनेगी (नव सृजित)	3125	0	3125
पिथौरागढ़	47	मुनस्यारी (नव सृजित)	3125	0	3125
चम्पावत	48	पाटी (नव सृजित)	3125	0	3125
देहरादून	49	सेलाकुई	2500	0	2500
रूद्रप्रयाग	50	गुप्तकाशी (नव सृजित)	3125	0	3125
योग (5)			40625	0	40625
योग नगर पंचायतें (4+5)			370425	3298	367127
महायोग			3146073	31029	3115044

(रू0 तीन सौ चौदह करोड़ साठ लाख तिहत्तर हजार मात्र)

Digitally signed by Himanshu Khurana
Date: 30-12-2025 10:30:58

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव, वित्त।